भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1056

05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में आयुष स्वास्थ्य केंद्र

1056**.** श्री अरुण भारती:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अन्तर्गत बिहार को आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि वर्ष-वार कितनी है;

(ख) बिहार में जिला-वार, विशेषकर जमुई जिले में कुल कितने आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) को स्वीकृत और क्रियाशील किया गया है;

(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बिहार में स्थापित आयुष ग्रामों और आयुष पॉलीक्लिनिकों की संख्या कितनी है;

(घ) ग्रामीण बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बिहार के जमुई जिले में इन एचडब्ल्यूसी में आवश्यक आयुष दवाओं की निरंतर आपूर्ति और आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार को केंद्रीय हिस्से के रूप में 1161.00 लाख रूपये जारी किए गए हैं। हालांकि, वर्ष 2022-23 और 2024-25 के दौरान धनराशि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि अनुदान जारी करने के संबंध में व्यय विभाग के जारी दिशानिर्देशों को पूरा करने में राज्य असमर्थ था।

(ख): बिहार सरकार से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) की 294 इकाइयां, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष [एएएम (आयुष)] के रूप में जाना जाता है, को मंजूरी दे दी गई है और जैसा कि राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया है, सभी कार्यात्मक है। बिहार के जमुई जिले सहित स्वीकृत/कार्यात्मक एएएम (आयुष) की जिले-वार स्थिति **संलग्नक** में दी गई है।

(ग): जैसा कि राज्य द्वारा बताया गया है कि 35 गांवों को आयुष ग्राम की पहल के तहत कवर किया गया है। हालांकि, एनएएम के तहत आयुष पॉलीक्लिनिक की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ): भारत सरकार ने ग्रामीण बिहार सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की रणनीति अपनाई है, इस प्रकार रोगियों को एक ही स्थापन पर औषधियों की विभिन्न पद्धतियों के विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सका। आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष

बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए साझा जिम्मेदारियों के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, जमुई जिले सहित बिहार में एएएम (आयुष) में आवश्यक आयुष औषधियों की नियमित आपूर्ति और आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। हालांकि, एनएएम के तहत, एएएम (आयुष) के सुचारू कार्यकरण के लिए एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आवश्यक आयुष औषधियों की आपूर्ति और आयुष डॉक्टरों के लिए राज्य सरकार की सहायता की जा रही है।

****

संलग्नक

बिहार में स्वीकृत/कार्यात्मक एएएम (आयुष) की जिला-वार स्थिति

क्र.सं.	जिला का नाम	स्वीकृत/कार्यात्मक एएएम(आयुष) की संख्या
1.	अररिया	4
2.	अरवाल	2
3.	औरंगाबाद	16
4.	बांका	4
5.	बेगूसराय	9
6.	भागलपुर	8
7.	भोजपुर	4
8.	बक्सर	7
9.	दरभंगा	35
10.	गया	4
11.	गोपालगंज	7
12.	**जमुई**	**3**
13.	जहानाबाद	4
14.	कैमूर (भाबुआ)	5
15.	कटिहार	4
16.	खगड़िया	2
17.	किशनगंज	11
18.	लखीसराय	1
19.	मधेपुरा	2
20.	मधुबनी	13
21.	मुंगेर	4
22.	मुजफ्फरपुर	15
23.	नालंदा	8
24.	नवादा	10
25.	पश्चिम चंपारन	4
26.	पटना	22
27.	पुर्व चंपारन	15
28.	पूर्णिया	16
29.	रोहतास	7
30.	सहरसा	6
31.	समस्तीपुर	9
32.	सरन	2
33.	शेखपुरा	1
34.	शिवहर	1
35.	सीतामढ़ी	6
36.	सिवान	8
37.	सुपौल	3
38.	वैशाली	12
कुल		**294**